

सरकारी वित्त 2020-21 : अर्धवार्षिक समीक्षा*

सरकार के वित्त की छमाही समीक्षा की श्रृंखला में यह तीसरा लेख है, सरकारी बजट के राजकोषीय गणित की जांच करता है और आर्थिक गतिविधि में संकुचन के प्रभाव और 2020-21 की पहली छमाही में प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर कोविड-19 के राजकोषीय प्रतिसाद की व्याख्या करता है। 2020-21 की पहली छमाही में संयुक्त वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ा है लेकिन पहली तिमाही की गतिविधियां इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार हैं। इसके आगे, सरकारी वित्त पर कोविड-19 का गंभीर प्रभाव पहली तिमाही से ही पडने के कारण अब केंद्र तथा राज्य सरकारों को बहाली गति बनाए रखने के लिए प्रति चक्रिय राजकोषीय समर्थन देना जारी रखना जरूरी है।

परिचय

वर्ष 2020-21 का यूनियन बजट, कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के पहले प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य धीमी अर्थव्यवस्था को एक प्रतिचक्रिय वित्तीय समर्थन प्रदान करना था। हालांकि, राजकोषीय रुख के कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के बचाव खंड [धारा 4 (2)] का सहारा लेते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राजकोषीय घाटे की अनुमति देना आवश्यक हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 में प्रतिशत के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी-जीडीपी) की तुलना में 3.0 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने का राजकोषीय समेकन लक्ष्य 2022-23 (3.1 प्रतिशत) तक आगे बढ़ाया गया। केंद्र के विपरीत, राज्यों ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन किया है, जो ज्यादातर खर्च में कटौती के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों को मिलाकर, जीडीपी के 2.8 प्रतिशत जीएफडी का बजट

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के राजकोषीय प्रभाग में राहुल अग्रवाल, इप्सिता पाठी, सुधांशु गोयल, समीर रंजन बेहरा और संगीता मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। डॉ. देबा प्रसाद रथ के बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए टीम उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

किया गया है, हालांकि उन राज्यों के बीच एक अंतर है जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन से पहले अपना बजट प्रस्तुत किया है [उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.4 प्रतिशत] और जिन्होंने लॉकडाउन के बाद प्रस्तुत किया है (उनके संयुक्त जीएसडीपी के 4.6 प्रतिशत)।

कोविड-19 के साथ मुकाबले में सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधि पर कठोर पाबंदियां लगाना आवश्यक हुआ। जिसका सरकारी वित्त पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। घाटे के संतुलन में वृद्धि और विश्व उत्पादन (आईएमएफ 2020 ए) में कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण वैश्विक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वैश्विक सामान्य सरकार राजकोषीय घाटा 2019 के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 12.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत का सामान्य सरकार राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत होगा। आर्थिक गतिविधि में संकुचन का सरकारी वित्त पर बुरा असर पड़ा जो राजस्व और व्यय के विषम प्रतिसादों से स्पष्ट है, राजस्व प्रवाह आर्थिक चक्र से है और व्यय स्थिर है। अधिक व्यय और कम करों के रूप में प्रतिचक्रिय प्रोत्साहन आर्थिक चक्र के अंतर्जनित प्रभाव से ज्यादा राजकोषीय घाटे के आकार को और अधिक बढ़ा सकता है। सरकारी वित्त पर भारत के उच्च-आवृत्ति आंकड़े बताते हैं कि जब जीडीपी में संकुचन के साथ राजस्व गिर गया है, प्रोत्साहनों को समायोजित करने के लिए सरकारी व्यय को आस्थगित किया गया / गैर-आवश्यक व्यय में कटौती की गयी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ गया और परिणामस्वरूप सरकार का उधार अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ गया।

सरकार के वित्त की छमाही समीक्षा की श्रृंखला में यह तीसरा लेख, अप्रत्याशित वर्ष की कुछ प्रमुख राजकोषीय चुनौतियों को परखता है, कोविड -19 के राजकोषीय प्रतिसाद तथा प्रमुख राजकोषीय मानदंडों पर इसके प्रभाव की जानकारी देता है। पहले, वर्तमान और अगले राजकोषीय वर्ष में वृद्धि और इसके विभिन्न घटकों पर प्रोत्साहक पैकेज के प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर, अब तक के परिणामों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य सरकार के संभाव्य राजकोषीय शेष का अनुमान लगाया गया है।

यह लेख निम्नानुसार विभाजित किया गया है। भाग II में तिमाही अंतरालों पर वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में केंद्र और सभी राज्यों की प्राप्तियों और व्यय परिणामों का विश्लेषण किया गया है। भाग III में घाटे के प्रमुख संकेतक और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित वर्णन किया है। भाग IV में केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार शामिल किए गए हैं। भाग V में वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए सामान्य सरकार के वित्त पर अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के लिए पूर्वानुमानों को प्रस्तुत किया है। भाग VI में निष्कर्ष दिया गया है तथा निकटवर्ती राजकोषीय परिदृश्य दिया गया है।

II. तिमाही परिणाम : 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही


केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक आम तौर पर वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जुटाया जाता है, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल व्यय का लगभग 55 प्रतिशत खर्च होता है। इस पैटर्न से हटकर 2020-21 की पहली छमाही में बजट किए गए कुल प्राप्तियों के केवल 25.2 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका, जबकि वर्ष के लिए बजट किए गए व्यय में से पहली छमाही

में आधे से भी कम व्यय किया जा सका। 2020-21 की पहली छमाही में, राज्य¹ अपनी बजट प्राप्तियों का केवल 30.6 प्रतिशत ही जुटा सके और पहली छमाही में उनका व्यय भी प्रत्येक वार्षिक प्राप्ति तथा व्यय के 40 प्रतिशत के सामान्य पैटर्न की तुलना में कम दिखाई दिया। (चार्ट 1)।

ए. प्राप्तियां

2020-21 की पहली तिमाही में महामारी से प्रेरित तालाबंदी के कारण केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं; इस अवधि के दौरान 47.3 प्रतिशत संकुचन दर्ज हुआ। जून 2020 के बाद से आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने के साथ, राजस्व प्राप्तियां आंशिक रूप से होने लगी, और 2020-21 की दूसरी तिमाही में 24.6 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया। कर्ज से इतर पूंजी प्राप्तियों में भी इस अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि विनिवेश का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से केवल ₹ 6,000 करोड़ से थोड़ी सी ही अधिक राशि जुटायी जा सकी (चार्ट 2)।


चार्ट 1 : 2020-21 की पहली छमाही के लिए कुल प्राप्तियां तथा व्यय



स्रोत: सीजीए और सीएजी

¹ 2020-21 की दूसरी तिमाही तक जिन राज्यों का ऐतिहासिक और अद्यतन डेटा उपलब्ध है ऐसे 21 राज्यों के कुल आंकड़ों के आधार पर।

चार्ट 2 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए केंद्र की प्राप्ति




राज्यों के संबंध में भी मोटे तौर पर इसी तरह का पैटर्न देखा गया, उनकी राजस्व प्राप्ति में 2020-21 की पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 18.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई लेकिन दूसरी तिमाही में संकुचन कम हुआ। राज्यों की कर्ज से इतर पूंजी रसीदें, जो काफी अस्थिर होती हैं, में भी 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में संकुचन देखा गया, परिणामस्वरूप कर्ज से इतर पूंजी प्राप्ति (बीई के प्रतिशत के रूप में) 2020-21


की पहली छमाही में पूर्ववर्ती दो वर्षों के औसत से कम रही (चार्ट 3)।

आर्थिक गतिविधि में चक्रीय संकुचन और कर दाखिल करने के लिए विभिन्न छूटों से संबंधित सरकार के विवेकाधीन नीतिगत कार्यों के कारण केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण, आयकर और निगम दोनों कर में 2020-21 की पहली छमाही के दौरान बड़ी गिरावट आई। केंद्र सरकार के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, इन

चार्ट 3 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए राज्यों की प्राप्ति



चार्ट 4 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में प्रत्यक्ष कर



संभव है कि दोनों² ने वृद्धि को प्रति चक्रीय समर्थन प्रदान किया हो। राज्यों के लिए, प्रत्यक्ष कर राजस्व में 85 प्रतिशत से अधिक स्टांप शुल्क का हिस्सा हैं तथा निर्माण गतिविधि में संकुचन के कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2020-21 की पहली तिमाही में इसमें 57.2 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे फिर से बहाल होने के साथ 2020-21 की दूसरी तिमाही में स्टांप शुल्क संग्रहण में तेजी आई, जिससे केवल 1 प्रतिशत से कम वर्ष-दर-वर्ष संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट 4)।



अवधि के दौरान केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में भी संकुचन पाया गया, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के खुलने के बाद वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व की वसूली में बढ़ोतरी तथा संघ उत्पाद शुल्क के संग्रहण में वृद्धि की पृष्ठभूमि में प्रत्यक्ष करों की तुलना में वह कम था। लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण (केंद्र और राज्य दोनों) गंभीर रूप से बाधित हुआ, लेकिन जून-नवंबर 2020 के दौरान तेजी से बरामद भी हुआ, क्योंकि उपभोग खर्च पुनर्जीवित हुआ, मांग में वृद्धि हुई और उत्सव के कारण खर्चों में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में बीई के 31.6 प्रतिशत जीएसटी मुआवजा उपकर जुटाया गया, हालांकि, राज्यों की जीएसटी

मुआवजे की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह अपर्याप्त था। तदनुसार, केंद्र सरकार ने एक विशेष विंडो का संचालन किया है, जिसके तहत भारत सरकार (जीओआई) जीएसटी उपकर संग्रहण में ₹1.1 लाख करोड़ (यह मानकर चलते हुए कि इसमें सभी राज्य शामिल होंगे) की अनुमानित कमी का उचित किशतों में उधार लेगा, जिसे जीएसटी मुआवजा उपकर रिलीज के रूप में बैंक-टू-बैंक ऋण के बदले में राज्यों को दिया जाएगा (चार्ट 5)। अब तक, सभी राज्यों और विधान सभा वाले सभी 3 संघ शासित प्रदेशों ने इस विकल्प को चुना है। भारत सरकार ने पहले ही राज्यों की ओर से ₹ 36,000 करोड़ की राशि उधार ली है और इसे उन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिया है जिन्होंने इस विकल्प को चुना था (9 दिसंबर 2020 तक)।

इस अप्रत्याशित समय में कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए, केंद्र ने मार्च-मई 2020 के दौरान दो बार पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया, परिणामस्वरूप 2020-21 की पहली छमाही में युनियन उत्पाद शुल्क संग्रहण में 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 22 राज्यों / संघशासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल शुल्क में ₹ 1 से 5 रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि 25 राज्यों / संघशासित प्रदेशों में

² सामान्य समय के दौरान प्रत्यक्ष कर प्रत्यास्थता 1 (2 के करीब) से अधिक होने और विभिन्न कारणों से इस तरह की अप्रत्याशित मंदी के दौरान बढ़ने की संभावना है (आईएमएफ 2020 बी; मिश्रा और त्रिवेदी, 2016) ; करों में गिरावट आय में गिरावट की तुलना में अनुपातिक रूप से अधिक हो सकती है, डिस्पोजेबल आय को बढ़ाने का वृद्धि पर वास्तविक प्रभाव टैक्स मल्टीप्लायर और अन्य आपूर्ति पक्ष बाधाओं के आकार पर निर्भर करेगा।

चार्ट 5 : जीएसटी प्रदर्शन






टिप्पणी: जीएसटी के आंकड़े उन राज्यों के हैं जिन्होंने ये आंकड़े रिपोर्ट किए हैं।
स्रोत: पीआईबी; ई-स्टेट्स डेटाबेस

शराब पर औसतन 10-30 प्रतिशत तक शुल्क में बढ़ोतरी की है। हालांकि मंदी के दौरान शुल्क बढ़ोतरी को प्रचक्रिय माना जा सकता है, लेकिन संभव है कि इन वस्तुओं की कीमतों के

मूल्यनिरपेक्ष स्वरूप ने इसे राजस्व वृद्धि के लिए एक उपयोगी साधन बना दिया है, भले ही शुरू में लॉकडाउन अवधि के दौरान खपत में गिरावट आई (चार्ट 6)।


चार्ट 6: उत्पाद शुल्क में वृद्धि




स्रोत: ई-स्टेट्स डेटाबेस; सीबीआईसी तथा राज्य सरकार

कराधान के अलावा, केंद्र अपने राजस्व के लिए गैर-कर स्रोतों पर भी काफी निर्भर रहता है, जिसने 2020-21 की पहली छमाही में, मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम बिक्री से बजट किए गए राजस्व में कमी के कारण भारी गिरावट आई। कर्ज से इतर पूंजी प्राप्तियों के संबंध में, 2020-21 के लिए सरकार द्वारा ₹2.1 लाख करोड़ बजट किया गया विनिवेश लक्ष्य संकट के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, जबकि वर्तमान में शेयर बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने हाल ही में विनिवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें आस्ति मुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं हेतु विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके परिणाम अगले वित्तीय वर्ष से पहले मिलने की संभावना नहीं है (चार्ट 7)।

पहली तिमाही में राज्यों को केंद्रीय कर अंतरणों में कोई पर्याप्त गिरावट नहीं देखी गई थी - ज्यादातर बजट अनुमानों के अनुसार अंतरण किए गए हैं, 2020-21 की दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट हुई: (चार्ट 8), संभवतः पहली तिमाही में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी दर्शाता है, जो विभाज्य पूल³ का एक हिस्सा है (यह एक तिमाही अंतराल में राज्यों की प्राप्तियों में परिलक्षित होता है)।



³ विभाज्य पूल सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिभार और उपकर, निवल संग्रहण शुल्क को छोड़कर सभी कर शामिल हैं।



बी. व्यय

केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के बाद कई उपायों के लिए खर्च किया, शुरुआत में गरीब और कमजोर वर्गों को लक्षित नकदी अंतरण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सहायता, मुफ्त खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा, आदि तथा इसके बाद आर्थिक बहाली को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत पैकेज के विभिन्न भागों में अधिक व्यापक उपाय किए गए। प्रोत्साहन का स्वरूप और मात्रा के साथ-साथ, खपत से तरलता, तरलता से निवेश में सावधानीपूर्वक अपने फोकस में परिवर्तन करना यह दर्शाता है कि यह निवेश पुनरुत्थान चैनल के माध्यम वृद्धि दे रहा है जिसका अधिक प्रभाव वर्ष की दूसरी छमाही में प्राप्त होना अपेक्षित है (बॉक्स I)।

अतिरिक्त आवश्यक व्यय की पूर्ति, अन्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत राशि को पुनः आबंटित कर पूरा की गयी है। सरकार ने 2020-21 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही में परिहार्य व्यय के स्थान पर प्राथमिकता क्षेत्रों में खर्च करने के लिए व्यय के युक्तिसंगत उपाय (विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के इन

बॉक्स I – राजकोषीय प्रोत्साहन का वृद्धि पर प्रभाव

महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित आघात के जवाब में, दुनिया भर की सरकारों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया है। भारत में, सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नया-तुला दृष्टिकोण लिया है जिसमें प्रारंभिक चरण में गरीबों को सामाजिक सहायता शामिल थी जिसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (सारणी.1 और परिशिष्ट सारणी 7) में समर्थन प्रदान करने के लिए एक व्यापक पैकेज (आत्म निर्भर भारत) के साथ दिया गया था। विचाराधीन व्यय उपायों तथा उसके तदनुसूची गुणक के आकार की मात्रा और संरचना के आधार पर वृद्धि पर राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन से, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत प्रदान किए गए प्रत्येक प्रोत्साहन उपायों की जीडीपी के तदनुसूची मांग-पक्ष घटकों- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)- के साथ अलग-अलग मैपिंग की जाती है। इसके बाद वृद्धि पर हुए असर को देखने के लिए संबंधित राजकोषीय गुणकों पर परस्पर प्रभाव को देखा गया है क्योंकि व्यय का स्वरूप आम तौर पर आर्थिक विकास पर किसी भी राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रभाव को निर्धारित करता है।

राजकोषीय गुणक, जो राजकोषीय चर (अर्थात्, सरकारी व्यय / कराधान या दोनों) में एक बहिर्जात परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, उत्पादन पर विवेकाधीन राजकोषीय नीति के तत्काल प्रभाव को मापता है। राजकोषीय गुणकों के सही आकार के बारे में सार्थक अनिश्चितता होते हुए भी गुणक दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण, उन्हें अनुमानित मापदंडों द्वारा नापा जाता है। अनुभवजन्य अनुमान बताते हैं कि राजकोषीय गुणक व्यापार चक्र की स्थिति और दूसरों (आईएमएफ, 2020 ए) के बीच मौद्रिक नीति के रुख के आधार पर

समय के साथ बदलते हैं।

भारतीय संदर्भ में, इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार से संबंधित राजस्व व्यय गुणक उनके यूनिटी से कम होते हैं। जब राजस्व व्यय में एक रुपये की वृद्धि होती है, तब जीएफसीई में एक रुपये की वृद्धि होती है, जबकि पूंजीगत व्यय अक्सर कम हो जाता है जिससे उत्पादन में कुछ वांछित वृद्धि का समंजन होता है और अतः अवधि टी में उत्पादन में केवल 45 पैसे की वृद्धि होती है और अवधि टी + 1 में लगभग 10 पैसे की वृद्धि होती है। इसके विपरीत, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूंजीगत व्यय गुणक उनके योग से काफी ऊपर है - केंद्र सरकार के लिए, यह अवधि टी में 2.45 और अवधि टी + 1 में 3.14 है, जबकि राज्य सरकारों के लिए यह 2 (आरबीआई, 2019) के करीब है। यह इस बात को दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रति एक रुपये की वृद्धि निजी निवेश का अंतर्गमन करती है, अर्थव्यवस्था में निवेश में आनुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि लाती है जिसके लाभ कुछ वर्ष तक उपचित होते हैं। इन गुणकों का उपयोग करते हुए और अब तक घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों के आधार पर, यह अनुमान है कि सरकारी व्यय द्वारा वृद्धि में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 159 बीपीएस और 158 बीपीएस को जोड़ा जाएगा। यहां पर यह फिर से संभव है कि सरकार के प्रोत्साहन उपायों का प्रभाव वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मुख्य रूप से निवेश पुनरुत्थान चैनल के माध्यम से दिखाई देगा (चार्ट I.1)।

अनुभवजन्य अनुमान बताते हैं कि सार्वजनिक निवेश अत्यधिक अनिश्चितता, जो वर्तमान संकट की एक प्रमुख विशेषता है, के दौरान जीडीपी विकास और रोजगार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है (रेचल और समर्स, 2019; एगर्ट्सन और अन्य, 2019)। भारत में भी, यह निवेश वृद्धि है जिसने 2000 के दशक में पुनरुत्थान चरण के दौरान, विशेष रूप से 2001 के मध्य से 2003 के दौरान और फिर से वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की अवधि के तुरंत बाद खपत की तुलना में बड़ी भूमिका निभाई है (चार्ट II.2ए)। इस प्रयोजन के लिए निवेश पुनरुत्थान पर सरकार द्वारा दिया गया ध्यान समय पर उठाया गया कदम है, हालांकि कुल जीएफसीएफ पर सामान्य सरकार निवेश (पीएसई सहित) की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत रही है (चार्ट II.2 बी)।

वृद्धि पर प्रोत्साहन के इन अनुमानित प्रभावों के साथ सकारात्मक तथा नकारात्मक, दोनों तरफ, कुछ अनिश्चितताएं भी जुड़ी हैं। पहला, यह देखते हुए कि उपयोग किए गए गुणकों की गणना सामान्य समय के लिए की गयी है, वर्तमान महामारी की स्थिति में वास्तविक प्रभाव

(जारी....)


सारणी I.1: घोषित प्रोत्साहन उपायों का सारांश (30 नवंबर 2020)

क्रम सं.	मद	₹ करोड़
1.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) +	1,92,800
2.	आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650
3.	पीएमजीकेपी अन्न योजना – नवंबर तक बढ़ायी गयी	82,911
4.	आत्म निर्भर भारत अभियान	73,000
5.	आत्मनिर्भर भारत अभियान	2,65,080
6.	31 अक्टूबर 2020 तक आरबीआई द्वारा घोषित उपाय	12,71,200
कुल		29,87,641

स्रोत: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) इंडिया

⁴ जीएफसीई में अंतर्गत भुगतान को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी राजस्व व्यय शामिल हैं (यानी सब्सिडी), जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) महिलाओं / वरिष्ठ नागरिकों और खाद्य सब्सिडी, जो पीएफसीई में शामिल हैं।

चार्ट I.1: जीडीपी पर प्रोत्साहन का प्रभाव




स्रोत: आरबीआई स्टाफ प्राकलन

भिन्न हो सकते हैं। जबकि अब यह पाया गया है आर्थिक मंदी और मौद्रिक नीति का अत्यधिक उदार रुख यह दर्शाता है कि गुणक अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं, महामारी से संबंधित आपूर्ति की

कमी ने हो सकता है कि विपरीत दिशा में योगदान दिया है (आईएमएफ, 2020ए)। दूसरा, केंद्र द्वारा दिया गया गारंटी समर्थित चलनिधि समर्थन, जो कि वास्तव में आपूर्ति-पक्ष समर्थन प्रदान

चार्ट II.2: निवेश का स्वरूप और हिस्सा



टिप्पणी: 1 वर्ष 2000-01 से 2005-06 की वृद्धि दर की गणना 1999-00 के आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है। वर्ष 2006-07 से 2011-12 की वृद्धि दर की गणना 2004-05 के आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है। वर्ष 2012-13 से आगे 2011-12 आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है।

स्रोत: नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) तथा आरबीआई स्टाफ प्राकलन

बी. सामान्य सरकार (पीएसई सहित) कैपेक्स

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 E
कुल जीएफसीएफ में हिस्सा	20.5	22.1	23.0	25.7	24.3	23.4	23.7	23.5
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.1	9.2	6.9	19.0	2.9	3.1	11.2	-3.7

ई: प्राकलित

(जारी....)

⁵ वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान राजकोषीय गुणकों को कम आंकने का वृद्धि पूर्वानुमान त्रुटियों में इसका महत्वपूर्ण योगदान प्रतीत हो रहा है (ब्लॉगार्ड और लेह, 2013)।

करने वाले लाभ निकालने के बाद के उपाय हैं, मांग-पक्ष उपायों के अतिरिक्त विशेष रूप से कुछ बुरी तरह से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को एक सकारात्मक गति भी प्रदान करेंगे। तीसरा, एक दृष्टिकोण यह भी है कि आर्थिक सहायता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से निजी खपत में संभावित वृद्धि, लगाए गए उच्च अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्रतिसंतुलित की जा सकती है, हालांकि वास्तविक प्रभाव विभेदक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। चौथा, जैसा कि पिछली घटनाओं के दौरान देखा गया था, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (केपैक्स) में कोई भी संभावित कटौती, प्रोत्साहन विस्तार के प्रभाव को भी कम कर सकती है।

संदर्भ:

Baker, S., R. A. Farrokhnia, M. Pagel, S. Meyer, and C. Yannelis. 2020. "Income, Liquidity, and the Consumption

Response to the COVID-19 Pandemic and Economic Stimulus Payments." VoxEU (blog), Centre for Economic Policy Research, June 17.

Eggertsson, G. B., N. R. Mehrotra, and J. A. Robbins. 2019. "A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation." *American Economic Journal: Macroeconomics* 11 (1): 1-48


IMF Fiscal Monitor. 2020a, International Monetary Fund, October.

Rachel, L., and L. H. Summers. 2019. "On Falling Neutral Real Rates, Fiscal Policy, and the Risk of Secular Stagnation." *Brookings Papers on Economic Activity* (Spring): 1-76.

खर्चों में अब ढील दी गई है)⁶ किए। परिणामस्वरूप, 2020-21 की पहली छमाही में महामारी संबंधी विस्तारक उपायों के बावजूद कुल व्यय बीई के 48.6 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 53.4 प्रतिशत था। निरपेक्ष रूप से, 2020-21 की पहली छमाही में राजस्व व्यय लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर था, प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 प्रतिशत


की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, पहली तिमाही में तेज पिकअप दर्ज करना तथा इसकी फ्रंट-लोडिंग महामारी से संबंधित राजस्व व्यय को दर्शाता है और दूसरी तिमाही में तेज गिरावट देखी गई है। दूसरी ओर, पहली तिमाही में लॉकडाउन तथा दूसरी तिमाही में वर्षा के कारण 2020-21 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय 11.6 प्रतिशत संकुचित हुआ है (चार्ट 9)।

चार्ट 9 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में केंद्र का व्यय



स्रोत : सीजीए और यूनियन बजट दस्तावेज

⁶ कार्यालय ज्ञापन: वित्त वर्ष 2020-21, की शेष अवधि के लिए नकदी प्रबंधन दिशानिर्देश 29 अक्टूबर 2020.




केंद्र सरकार का अनुदान भुगतान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 की पहली तिमाही में कम था लेकिन 2019-20 की दूसरी तिमाही में उच्च खाद्य और पेट्रोलियम अनुदान (बीई के प्रतिशत के रूप में) के कारण 2020-21 की दूसरी तिमाही में अधिक रहा है (चार्ट 10)।

2020-21 की पहली छमाही में राज्यों के राजस्व व्यय में भी पिछले वर्षों की तुलना में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई है, इस


तथ्य के बावजूद कि महामारी का मुकाबला करने में राज्य सबसे आगे रहे हैं, मुख्य रूप से महंगाई भत्ता (डीए) फ्रीज, पूर्ण वेतन के भाग का स्थगन, यात्रा और वाहन खर्चों को युक्तिसंगत करना (आरबीआई, 2020) जैसे तरीकों से खर्च को पुनः प्राथमिकता देने को, इसका श्रेय दिया जा सकता है। दूसरी तिमाही से पहली तिमाही तक सभी तिमाहियों में राजस्व व्यय में एक बदलाव हुआ है। पूंजीगत व्यय के संबंध में 2020-21 की पहली तिमाही में तेज गिरावट देखी गयी, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2020-21 की दूसरी तिमाही में थोड़ी कम हुई। पिछले दो वर्षों की तुलना में 2020-21 की पहली छमाही में राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से काफी कम अनुपात में है (चार्ट 11)।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पूंजीगत व्यय को देखने से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में संघ और राज्यों ने क्रमशः 17 और 16 वर्षों में कैपेक्स कटौती का सहारा लिया है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र ने व्यापक रूप से अपने कैपेक्स की तुलना में बीई को बनाए रखा है, विशेष रूप से राज्यों के लिए कटौती की गई है (चार्ट 12 ए)।

केंद्र सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत 2.0 और 3.0 के तहत कई मंत्रालयों के लिए घोषित कैपेक्स की वृद्धि के साथ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजीगत व्यय की भी समीक्षा की जा रही है और उनसे इस वित्तीय वर्ष की तीसरी



चार्ट 12 : केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का स्वरूप



तिमाही तक उनके पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। हालाँकि, यह संकेत है कि राज्य, जो 2 से अधिक राजकोषीय गुणक के साथ सामान्य सरकार कैपेक्स का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, 2020-21 में कैपेक्स कटौती का सहारा ले सकता है, जो निवेश के पुनर्प्रवर्तन और समग्र वृद्धि पर रोक लगा सकता है। (चार्ट 12 बी)।

राजकोषीय संतुलन के अनुपात में सामान्य सरकार के पूंजीगत व्यय की तुलना, कैपेक्स के लिए दिए जा रहे वित्तपोषण के लिए बाहरी उधार का कितना हिस्सा जा रहा है यह संकेत देता है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं यह दर्शाती है कि भारत का यह अनुपात उसके कई साथियों से कम है (चार्ट 13)।

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण


ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार


2019-20 में केंद्र सरकार जीएफडी-जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से बाहर चले जाने से, सरकार ने 2020-21 के लिए इस उद्देश्य से थोड़ेसे अधिक राजकोषीय घाटा अनुपात का बजट प्रावधान किया, कि एफआरबीएम अधिनियम के निर्धारित

लक्ष्य का पालन करते हुए वृद्धि को प्रतिचक्रिय सहायता प्रदान की जा सके। हालाँकि, यह राजकोषीय अंकगणित आर्थिक गतिविधियों में तेज संकुचन के कारण राजस्व में भारी गिरावट से बदल गया है। 2020-21 के पहली और दूसरी तिमाही में, राजकोषीय घाटा

चार्ट 13: सामान्य सरकार के कैपेक्स की तुलना में राजकोषीय शेष



चार्ट 14 : केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा




तिमाही जीडीपी के क्रमशः 17.4 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक था (चार्ट 14)।


राज्य सरकारें

जबकि राज्यों ने 2020-21 के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.8 प्रतिशत का बजट रखा है यह संख्या और अधिक होने के कगार पर है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले अपने बजट प्रस्तुत किए थे। यह

इस तथ्य से स्पष्ट है कि जिन राज्यों ने महामारी प्रकोप के बाद बजट प्रस्तुत किया है, उनका औसत जीएफडी, जीएसडीपी का 4.6 प्रतिशत है इसकी तुलना में महामारी प्रकोप से पहले बजट प्रस्तुत करने वाले राज्यों के लिए 2.4 प्रतिशत है (आरबीआई, 2020)। 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में, राज्यों का राजकोषीय घाटा तिमाही जीडीपी के क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है (चार्ट 15)।

चार्ट 15 : राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



चार्ट 16 : सकल राजकोषीय घाटा और केंद्र एवं राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का स्वरूप

व्यय की गुणवत्ता के हास के साथ राजकोषीय गिरावट तथा 2020-21 की पहली छमाही में केंद्र और राज्यों के राजस्व व्यय के साथ पूंजीगत व्यय अनुपात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष वृद्धि हो रही है (चार्ट 16)। केंद्र द्वारा 2020-21 की पहली छमाही में कुल राजस्व व्यय का एक तिहाई से अधिक कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा और उपभोक्ता मामलों, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों द्वारा खर्च किया गया (सारणी 1)।

मंत्रालय-वार, रक्षा, रेलवे, और सड़क परिवहन मंत्रालय ने अवधि के दौरान किए गए कुल पूंजी व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक खर्च किया है (सारणी 2)।

सारणी 1: पहली छमाही में केंद्र सरकार का मंत्रालय-वार राजस्व व्यय

मद	₹ हजार करोड़			कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	3	4	5	6	7	8
रक्षा मंत्रालय	175	195	175	15.4	15.0	13.3
ग्रामीण विकास मंत्रालय	74	72	125	6.5	5.5	9.5
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	131	126	88	11.5	9.7	6.7
कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	37	56	72	3.2	4.3	5.5

स्रोत: सीजीएम

सारणी 2: पहली छमाही में केंद्र सरकार का मंत्रालय-वार पूंजीगत व्यय

मद	₹ हजार करोड़			कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	3	4	5	6	7	8
रक्षा मंत्रालय	55	67	58	33.9	35.8	34.8
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	44	45	41	27.4	24.1	24.5
रेल मंत्रालय	29	35	29	17.7	18.5	17.2
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	0	0	11	0.1	0.0	6.7

स्रोत: सीजीएम

सारणी 3 : केंद्र सरकार के सकाल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

वर्तमान कीमत पर पहली छमाही के जीडीपी का प्रतिशत

घटक	अप्रैल -सितंबर 2015-16	अप्रैल -सितंबर 2016-17	अप्रैल -सितंबर 2017-18	अप्रैल -सितंबर 2018-19	अप्रैल -सितंबर 2019-20	अप्रैल -सितंबर 2020-21
बाहरी वित्तपोषण	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.4
बाजार उधार	4.0	4.0	4.3	3.6	4.9	13.0
लघु बचत की तुलना में प्रतिभूतियां	0.0	-0.0	0.2	0.3	0.6	0.6
राष्ट्रीय लघु बचत कोष	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9
कैश बैलेंस {घट (+) / बढ़ (-)}	0.1	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
अधिशेष नकद का निवेश (-) / विनिवेश (+)	1.4	2.0	0.8	1.8	0.9	-3.0
अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	0.3	-	-
अन्य	-0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.4	-1.3
कुल जीएफडी/ वित्त पोषण	5.7	6.1	6.1	6.5	6.6	10.7

स्रोत : सीजीए; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); और आरबीआई

बी. राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

पिछले वर्षों की तुलना में बाजार उधारियों की अधिक हिस्सेदारी, विशेष रूप से प्राप्तियों में कमी की भरपाई करने के लिए, केंद्र के जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न में 2020-21 की पहली छमाही में काफी बदलाव आया है। वास्तव में, बाजार उधारियां (जीडीपी का 13.0 प्रतिशत) जीएफडी की तुलना में काफी अधिक है (जीडीपी के 10.7 प्रतिशत), जो अधिशेष नकदी शेष के रूप में उपलब्ध है और दूसरी छमाही में खर्च पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार की आवश्यकता को कम कर सकता है (सारणी 3)।

IV. बाजार उधारियां

2020-21 में अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त पर कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव के कारण केंद्र और राज्यों दोनों की बाजार उधारियां अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ गयी है (सारणी 4)। महामारी के कारण, केंद्र का उधार कैलेंडर वित्तीय वर्ष में अब तक दो बार बढ़ाकर संशोधित किया गया है, आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मई 2020 में राज्यों को जीएसडीपी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत (आंशिक रूप से सशर्त और आंशिक रूप से बिना शर्त) उधार सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

राज्य स्तर पर एक विश्लेषण में 2020-21 के पूरे वर्ष के जीएफडी के प्रतिशत के रूप में 2019-20 के स्तरों की तुलना में पहली छमाही के बाजार उधारियों में सामान्य बढ़ोतरी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर (कई वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं रेखा से ऊपर) सभी राज्यों में संवृद्धि दर्ज हुई है, और कुछ अपवादों के

सारणी 4 : केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(रु करोड़ में)


मद	2020-21 (April 1 - November 13, 2020)	2019-20 (अप्रैल 1 से नव.15, 2020)	2020-21 (अप्रैल 1 से अक्टू.2, 2020)	2019-20 (अप्रैल 1 से सित 2019)
केंद्र सरकार				
सकल बाजार उधारियां	9,05,000 (116.0)	5,22,000 (73.5)	7,66,000 (98.2)	4,42,000 (62.3)
निवल बाजार उधारियां	7,74,428 (142.1)	4,20,972 (89.0)	6,35,428 (116.6)	3,40,972 (72.1)
राज्य सरकार				
सकल बाजार उधारियां	4,64,132 (65.6)	3,07,306 (49.3)	3,53,596 (50.0)	2,25,445 (36.2)
निवल बाजार उधारियां	3,81,077 (68.0)	2,18,254 (44.9)	2,98,989 (53.3)	1,56,447 (32.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बीई का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, भा.रि.बैंक


साथ, 2020-21 और 2019-20 के स्तरों में एक मजबूत सहसंबंध पाया गया जो यह दर्शाता है कि मोटे तौर पर संवृद्धि सभी राज्यों में समान है। राज्य सरकार के वित्त पर कोविड-19 प्रकोप का स्थानिय आयाम बाजार उधारियों की मात्रा में बढ़ोतरी से स्पष्ट है - तीन राज्यों जिसमें अत्यधिक बढ़ोतरी हुई (महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु) कोविड-19 मरिजों की अत्यधिक संख्या वाले 4 राज्यों में भी शामिल है (चार्ट 17)।

रिजर्व बैंक की विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 की पहली छमाही में विशेष रूप से उच्चतर अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) (जो सामान्य डब्ल्यूएमए के अतिरिक्त एक विशेष डब्ल्यूएमए के रूप में)




की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गयी हैं (चार्ट 18ए)। वर्ष के दौरान, वित्तीय दबाव कम करने और राज्यों के उधार कैलेंडर को सुचारु करने के उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने राज्यों के डब्ल्यूएमए सीमा 60 प्रतिशत से बढ़ायी। अप्रैल - सितंबर 2020 के दौरान, तेरह राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, जबकि छह राज्यों ने

ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया। राज्य-वार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और तेलंगाना ने उपलब्ध डब्ल्यूएमए सीमा का प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया, जबकि मणिपुर, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 18 बी)।



चार्ट 19: संयुक्त सरकारी वित्त: वास्तविक और अनुमान



टिप्पणी: 1. गाढ़ा हरे रंग से छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल (सीआई) का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गाढ़े हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दी गई सीमा में होगा।

2. रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समीक्षा में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित अनुमानित जीडीपी वृद्धि का उपयोग किया गया है।

3. वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र तथा 27 राज्यों के लिए है, ति1: 2020-21 तक केंद्र तथा 24 राज्यों और ति2: 2020-21 के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र तथा 21 राज्यों के लिए के लिए है। जीएफडी-जीडीपी का अनुमान केंद्र और 24 राज्यों के लिए है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

V. सामान्य सरकार वित्त

"सरकारी वित्त 2019-20: छमाही समीक्षा" पर बुलेटिन लेख दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुआ, जिसने जी -20 डेटा गैप पहल की दिशा में भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सरकार के वित्त आंकड़ों को तिमाही आधार पर संकलन और रिपोर्ट करने पहला कदम उठाया। राजकोषीय डेटा समय पर प्रदान करने के इस प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार वित्त को तिमाही आधार पर 2020-21 की दूसरी तिमाही तक संकलित किया गया है (परिशिष्ट सारणी 5)। विश्लेषण से पता चलता है कि संयुक्त जीएफडी प्रदर्शन 2020-21 की पहली छमाही में खराब था, क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी में 2020-21 की पहली तिमाही में तेजी से वृद्धि हुई थी, मुख्य रूप से सामान्य सरकार प्राप्ति में कमी और समय से पहले खर्च के साथ जीडीपी में संकुचन होने के कारण (चार्ट 19 ए)।

इसके अलावा, 2020-21 की दूसरी छमाही में, जबकि आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के कारण बेहतर प्रतियों से राजकोष को लाभ होने की संभावना है, सरकार द्वारा विभिन्न व्यय उपायों, विशेष रूप से बजट के आधार पर आत्म निर्भर 2.0 तथा 3.0 के माध्यम से दी गयी सहायता मूर्त रूप लेने की संभावना है। इन विकासों को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख व्यय सहायता- आंशिक रूप से तीसरी तिमाही में और अधिकतर चौथी तिमाही में, रिजर्व बैंक की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समीक्षा में अनुमानित जीडीपी वृद्धि के आधार पर, तीसरी और चौथी तिमाही में संयुक्त राजकोषीय घाटा तदनु रूप 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल 7.8-8.8 प्रतिशत और 11.6-12.9 प्रतिशत अनुमान के साथ क्रमशः जीडीपी के 8.3 और 12.4 प्रतिशत पर अनुमानित हैं (चार्ट 19 बी)। तदनुसार, जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी के 14.5 प्रतिशत से घटकर 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 10.4 प्रतिशत होने की संभावना है।

VI. भावी दिशा

2020-21 में केंद्र सरकार का जीएफडी वित्त वर्ष के चौथे महीने (अर्थात् जुलाई 2020) तक ही निर्धारित बजट राशि का 100 प्रतिशत पार करते हुए अक्टूबर 2020 तक 119.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, राजस्व घाटा अक्टूबर 2020 तक बजट राशि के 126.7 प्रतिशत था, जो व्यय की गुणवत्ता में गिरावट दर्शाता है। हालांकि, केंद्र सरकार के घाटे के फ्रंट-लोडिंग में मौसमीयता ने भी भूमिका निभाई है, इस साल सामान्य से अधिक राजकोषीय घाटा राजस्व में गिरावट के कारण है (विशेष रूप से पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6 प्रतिशत संकुचन के परिणामस्वरूप)। 2020-21 की पहली छमाही में राज्यों का जीएफडी 58.4 प्रतिशत था, जो वर्ष में सामान्यतः देखे गए जीएफडी से 35-40 प्रतिशत से अधिक है। सरकार के दोनों स्तरों पर राजकोषीय संतुलन में गिरावट के साथ, 2020-21 की पहली छमाही में संयुक्त जीएफडी (केंद्र और राज्यों) बीई के 85.9 प्रतिशत था, जो 2019-20 की पहली छमाही के 70.0 प्रतिशत से काफी अधिक है।

छमाही रुझान राजकोषीय संतुलन के क्रमिक विकास में अंतर-तिमाही भिन्नता को आच्छादित करती है क्योंकि 2020-21 की पहली छमाही में उच्च जीएफडी के लिए पूरी तरह से 2020-21 की पहली तिमाही जिम्मेदार है, 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीएफडी (बीई के प्रतिशत में) पिछले दो वर्षों के समान स्तरों पर रहा। जीएफडी एक व्युत्पन्न आंकड़ा होने के कारण, यह प्राप्तियों और व्यय दोनों निर्भर है। 2020-21 की पहली तिमाही में, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई, व्यय स्तर पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामूली अंतर आया, जिसके परिणामस्वरूप जीएफडी बढ़ गया। जबकि राजस्व अंतर, कुछ हद तक कम था, दूसरी तिमाही में, विवेकपूर्ण व्यय के कारण जीएफडी में सुधार हुआ। जैसे कि व्यय के युक्तिसंगत करने से राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वसूली हुई 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीएफडी अपने सामान्य स्तर (बीई के एक प्रतिशत के रूप में) पर प्रत्यावर्तित हुआ। हालांकि, सरकार के दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय में कटौती से व्यय युक्तिसंगत किया गया जो वृद्धि में बहाली को निरुत्साहित

कर सकता है। 2020-21 की दूसरी तिमाही में मौसमीयता और इसके सामान्य स्तर पर जीएफडी के प्रत्यावर्तन को देखते हुए, संयुक्त जीएफडी में निम्न अभिवृद्धि होने की संभावना है।

पहले से ही पहली छमाही में महसूस किए गए सरकारी वित्त पर कोविड -19 के गंभीर प्रभाव के बावजूद बहाली की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिचक्रिय राजकोषीय उपाय जारी रखना केंद्र और राज्यों के लिए अनिवार्य है। वंचितों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए और श्रम बाजार की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए राजस्व व्यय के उपायों को जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि सभी क्षेत्रों में असमान बहाली होने की संभावना है। 2020-21 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय जो तेजी से नीचे गिरा, को प्राथमिकता से बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक आवास, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक निवेश एक अधिक आघात सहनीय और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समय की आवश्यकता है।

सरकारों को राजकोषीय रिपोर्टिंग में अच्छी आंतरिक व्यवस्था और पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कमजोर बहाली प्रक्रिया के लिए जारी राजकोषीय समर्थन और मध्यम अवधि के ऋण-घाटे के असंतुलन को दूर करने के बीच प्रभावी ढंग से संतुलन बनाना होगा।

संदर्भ

Baker, S., Farrokhnia, R. A., Pagel, M., Meyer, S., and Yannelis, C. 2020. "Income, Liquidity, and the Consumption Response to the 2020 Economic Stimulus Payments." National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 27097.

Eggertsson, G. B., Mehrotra, N. R., and Robbins, J. A. 2019. "A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation." American Economic Journal: Macroeconomics 11 (1): 1-48.

IMF (2020a). IMF Fiscal Monitor. 2020, International Monetary Fund, October 2020.

IMF (2020b). "Challenges in Forecasting Tax revenue." IMF Special Series on COVID-19. April 20.

Misra, S. and Trivedi P. (2016). Structural fiscal balance: An empirical investigation for India. RBI Occasional Papers Vols. 35 and 36, Vols. 1 and 2, 2014 and 2015.

Rachel, L., and Summers L. H.. 2019. "On Falling Neutral Real Rates, Fiscal Policy, and the Risk of Secular Stagnation." Brookings Papers on Economic Activity (Spring): 1-76.

Reserve Bank of India (2019). "Monetary Policy Report". April 2019.

Reserve Bank of India (2020). "State Finances A Study of Budgets of 2020-21".

Websites

The office of the Comptroller and Auditor General of India. <https://cag.gov.in/>

The Office of Controller General of Accounts. <http://www.cga.nic.in/>

परिशिष्ट

सारणी 1 : अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	550.8	816.5	2020.9	1962.8	27.3	41.6	-32.5	18.0
1.1. कर राजस्व (निवल)	458.5	607.4	1635.9	1649.6	28.0	36.8	-24.5	4.2
1.2. करेतर राजस्व	92.3	209.0	385.0	313.2	24.0	66.7	-55.9	91.8
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	5.7	6.5	11.0	13.7	52.1	47.3	-11.3	10.9
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	14.6	20.6	225.0	119.8	6.5	17.2	-28.9	16.2
2.1. ऋणों की वसूली	8.9	8.2	15.0	14.8	59.2	55.6	7.5	5.8
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	5.8	12.4	210.0	105.0	2.8	11.8	-53.2	24.3
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	565.4	837.1	2245.9	2082.6	25.2	40.2	-32.5	18.0
4. राजस्व व्यय	1313.6	1301.1	2630.1	2447.8	49.9	53.2	1.0	14.0
जिसमें से								
(i) ब्याज भुगतान	305.7	270.7	708.2	660.5	43.2	41.0	12.9	6.0
5. पूंजीगत व्यय	165.8	187.5	412.1	338.6	40.2	55.4	-11.6	15.3
जिसमें से								
(i) ऋण और अग्रिम	17.4	14.8	31.8	27.8	54.7	53.4	17.1	40.8
6. कुल व्यय (4+5)	1479.4	1488.6	3042.2	2786.3	48.6	53.4	-0.6	14.1
7. राजस्व घाटा (4-1)	762.8	484.6	609.2	485.0	125.2	99.9	57.4	7.7
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	914.0	651.6	796.3	703.8	114.8	92.6	40.3	9.6
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	608.3	380.9	88.1	43.3	690.2	879.8	59.7	12.2

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2 : केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	ति1		ति2		बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
					ति1		ति2		2020-21	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	150.0	284.9	400.8	531.6	7.4	14.5	19.8	27.1	-47.3	-24.6
1.1. कर राजस्व (निवल)	134.8	251.4	323.7	356.0	8.2	15.2	19.8	21.6	-46.4	-9.1
1.2. करेतर राजस्व	15.2	33.5	77.1	175.6	3.9	10.7	20.0	56.1	-54.6	-56.1
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	1.6	3.3	4.1	3.2	14.8	23.8	37.3	23.5	-50.0	27.9
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	3.6	4.8	11.1	15.8	1.6	4.0	4.9	13.2	-25.0	-30.1
2.1. ऋणों की वसूली	3.6	2.4	5.3	5.8	23.9	16.2	35.3	39.3	48.4	-9.4
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.0	2.4	5.8	10.0	0.0	2.2	2.8	9.5	-100.0	-42.2
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	153.6	289.7	411.8	547.4	6.8	13.9	18.3	26.3	-47.0	-24.8
4. राजस्व व्यय	727.7	658.7	585.9	642.4	27.7	26.9	22.3	26.2	10.5	-8.8
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	160.5	141.8	145.2	128.9	22.7	21.5	20.5	19.5	13.2	12.6
5. पूंजीगत व्यय	88.3	63.0	77.6	124.5	21.4	18.6	18.8	36.8	40.1	-37.7
जिसमें से										
(i) ऋण और अग्रिम	13.9	6.0	3.4	8.8	43.9	21.7	10.8	31.7	131.4	-61.1
6. कुल व्यय (4+5)	815.9	721.7	663.5	766.9	26.8	25.9	21.8	27.5	13.1	-13.5
7. राजस्व घाटा (4-1)	577.7	373.8	185.1	110.8	94.8	77.1	30.4	22.8	54.5	67.1
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	662.4	432.1	251.6	219.5	83.2	61.4	31.6	31.2	53.3	14.6
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	501.9	290.3	106.5	90.6	569.4	670.6	120.8	209.2	72.9	17.6

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 3 : अप्रैल से सितंबर 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)			(प्रतिशत)			
	अनंतिम वास्तविक डेटा			बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्राप्तियाँ	834.9	855.4	713.9	38.2	30.7	2.5	-16.5
1.1. कर राजस्व (निवल)	628.2	633.4	496.6	39.5	30.6	0.8	-21.6
1.2. करेतर राजस्व	63.6	61.8	45.8	31.2	20.9	-2.8	-25.9
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	143.1	160.2	171.5	36.5	35.7	12.0	7.0
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	6.9	12.1	1.5	22.2	10.0	76.0	-87.8
2.1. ऋणों की वसूली	6.8	12.1	1.4	22.8	13.0	77.4	-88.2
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.1	0.1	0.1	3.1	1.4	-32.5	-11.3
3. राजस्व व्यय	840.8	906.7	911.5	40.1	38.3	7.8	0.5
जिसमें से							
(i) ब्याज भुगतान	84.7	103.8	113.9	40.1	39.6	22.6	9.8
4. पूंजीगत व्यय	137.8	137.2	88.9	30.8	20.0	-0.4	-35.2
4.1. पूंजीगत परिव्यय	122.6	119.6	80.1	29.1	19.7	-2.4	-33.1
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	15.3	17.6	8.8	52.1	22.6	15.3	-49.8
5. राजकोषीय घाटा [(3+4) - (1+2)]	136.8	176.4	285.0	42.6	58.4	29.0	61.6
6. राजस्व घाटा (3-1)	5.9	51.3	197.6	212.7	340.9	775.8	285.1

स्रोत : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

सारणी 4 : राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	अनंतिम वास्तविक डाटा				बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2020-21	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	ति1	ति2
1. राजस्व प्राप्तियाँ	315.6	388.0	398.2	467.4	13.6	17.3	17.1	20.9	-18.6	-14.8
1.1. कर राजस्व	200.9	299.3	295.7	334.1	12.4	18.7	18.2	20.8	-32.9	-11.5
1.2. करेतर राजस्व	19.8	28.4	26.0	33.4	9.0	14.4	11.8	16.9	-30.3	-22.1
1.3. सहायता-अनुदान और अंशदान	94.9	60.3	76.6	99.9	19.8	13.7	16.0	22.8	57.4	-23.4
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.6	1.0	0.9	11.1	4.2	1.9	5.8	20.3	-39.8	-92.3
2.1. ऋणों की वसूली	0.6	1.0	0.8	11.1	5.5	1.9	7.5	21.0	-39.6	-92.6
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0.9	1.5	-44.2	25.0
3. राजस्व व्यय	450.1	405.8	461.3	500.9	18.9	17.9	19.4	22.1	10.9	-7.9
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	51.7	42.8	62.2	61.0	18.0	16.5	21.6	23.6	20.9	2.0
4. पूंजीगत व्यय	32.3	57.2	56.6	80.0	7.3	12.8	12.7	18.0	-43.5	-29.3
4.1. पूंजीगत परिव्यय	29.8	52.8	50.3	67.1	7.4	12.9	12.4	16.3	-43.6	-25.1
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	2.5	4.7	6.3	12.9	6.5	13.9	16.2	38.3	-46.1	-51.2
5. राजकोषीय घाटा [(3+4)-(1+2)]	166.2	74.0	118.9	102.4	34.1	17.9	24.4	24.7	124.6	16.0
6. राजस्व घाटा (3-1)	134.5	17.8	63.1	33.5	232.0	74.0	108.9	138.8	653.8	88.6

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 5: संयुक्त सरकारी वित्त (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2019-20				2020-21		2019-20	2020-21
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	छ1	छ1
कर राजस्व	13.1	16.0	14.9	17.5	9.9	13.1	14.6	11.7
करेतर राजस्व	3.0	7.1	4.0	6.4	3.9	3.8	5.0	3.9
पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.1	0.6	0.3	1.2	0.1	0.3	0.3	0.2
कुल प्राप्तियाँ	16.1	23.7	19.2	25.1	14.0	17.2	19.9	15.7
कुल व्यय	26.2	31.3	26.6	28.2	36.0	24.9	28.7	29.9
राजस्व व्यय	23.7	26.9	23.4	23.9	33.1	22.2	25.3	27.1
पूंजीगत व्यय	2.5	4.4	3.2	4.3	2.9	2.8	3.4	2.8
सकल राजकोषीय घाटा	10.0	7.6	7.4	3.2	22.0	7.8	8.8	14.1
राजस्व घाटा	7.6	3.8	4.5	0.0	19.2	5.3	5.7	11.5

टिप्पणी : आंकड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनंतिम वित्त के अनुसार दिए गए हैं।
आंकड़े केंद्र सरकार और 23 राज्यों से संबन्धित हैं।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
24 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, <i>विवाद से विश्वास</i> योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)	<ul style="list-style-type: none"> प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएंगी। जन धन महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गरीब <i>दिव्यांग</i>, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी) हस्तांतरित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹20 लाख रुपये की जाएगी। 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके।
30 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 करोड़ रुपये की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
8 अप्रैल 2020	यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 करोड़ रुपये है।
9 अप्रैल 2020	'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेडनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद/अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग I)	<ul style="list-style-type: none"> • 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ रुपये गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। • बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। • मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। • सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। • पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ रुपये की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। • अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ रुपये चलनिधि उपलब्ध होगी। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) /सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। • आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। • बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ रुपये चलनिधि लगायी जाएगी। • केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। • स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। • स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। • विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फ़ाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
14 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग II)	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। • प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। • मुद्रा-शिशु ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। • फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। • आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ रुपये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंकड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। • रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। • नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग III)	<ul style="list-style-type: none"> • फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। • सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी। • प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। • डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। • औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। • ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों (टीओटीएएल) के लिए प्रदान किया जाएगा। • कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। • बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। • जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
16 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग IV)	<ul style="list-style-type: none"> वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी। कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/ प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ायी जाएगी। बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटीज का निजीकरण किया जाएगा। निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी।
17 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग V)	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए मनोदर्पण, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैरआपराधिक माना जाएगा।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।
12 जून 2020	छोटे कर दाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
30 जून 2020	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
6 अगस्त 2020	भारत सरकार द्वारा 22 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिसाद और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त ₹ 890.3 करोड़ राशि जारी की गई थी।
12 अक्टूबर 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान 2.0)	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना और त्यौहार अग्रिम विशेष योजना दी जाएगी। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों 50 साल का ऋण ₹ 12,000 करोड़ का विशेष ब्याज रहित जारी किया जाएगा। सड़कों, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 25,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा।
23 अक्टूबर 2020	निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के राशि के अंतर का अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया गया था।
12 नवंबर 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0)	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान रोजगार योजना शुरू की गई। एमएसएमई, व्यवसाय, मद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया। घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सेक्टर को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना - शहरी के लिए ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। सरकारी निविदाओं पर अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी और कार्य निष्पादन जमानत में रियायत प्रदान की गई ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो और ठेकेदारों को राहत मिले। डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर राहत प्रदान की गई। राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना निधि (एनआईआईएफ) के कर्ज प्लेटफॉर्म में ₹ 6,000 करोड़ का इक्विटी निवेश किया जाएगा।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (समाप्त)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
	<ul style="list-style-type: none"> • सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹ 65,000 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। • ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च प्रदान किया जाएगा। • भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस योजना) के तहत निर्यात परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक्विजि बैंक को ₹3,000 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। • ₹10,200 करोड़ प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त बजट घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए प्रदान किया जाएगा। • भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को ₹900 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।